| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| 4-12-2024 | **एकल–पीठ**<br>**श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य**<br>**उपस्थित :**<br>श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी ।<br>श्री एस.पी.ओझा, अभिभाषक अप्रार्थी<br><br>**आदेश**<br><br>हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी खानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने एक वाद अंतर्गत धारा 91, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विवादित आराजी न्यायालय उपखंड अधिकारी खानपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है एंव तनकीयात कायम की जा चुकी है। दौराने दावा प्रार्थी ने आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की विशेष आपत्ति के मद नं. 6 व 7 बाबत् तनकीयात बनाई जावे। उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनकर अपने आदेश दिनांक 12–12–02 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दिवानी खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।<br><br>विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की विशेष आपत्ति के मद नंबर 6 व 7 के संबंध में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। उक्त तनकीयात बनाने बाबत् वादीगण द्वारा एतराज नहीं किया गया। उक्त बाबत् तनकीयात का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के सिर्फ यह अंकित करते हुये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, खारिज कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12–12–02 निरस्त किया जावे।<br>उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी अनावश्यक तनकीयात जुडवाना चाह रहे है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ | |

| | | |
|---|---|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
| | न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दिवानी सही खारिज किया है। प्रार्थी के आवेदन पर नई तनकी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।<br><br>उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।<br><br>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली तनकीयात कायम की जाकर वास्ते शहादत के स्तर पर विचाराधीन है। कई अवसर दिये जाने के बाद भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई शहादत प्रस्तुत नहीं की गई एवं बहस का अवसर चाहते रहे है। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 सीपीसी प्रस्तुत कर नई तनकीयात कायम किये जाने का निवेदन किया। तनकीयात कायम किये जाते वक्त प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई एतराज पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 सीपीसी खारिज किया है। निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा हमारी सुविचारित राय में परीक्षण न्यायालय के उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है, जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता हो। अतः निगरानी खारिज योग्य है।<br><br>परिणामतः निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ लौटाया जावे। न्यायालय उपखंड अधिकारी खानपुर को न्यायहित में आदेश दिये जाते है कि प्रकरण वर्ष 2002 से लम्बित है। अतः वाद का निस्तारण 3 माह में आवश्यक रूपसे उभय पक्ष को सुना जाकर विधि अनुसार करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।<br><br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।<br><br>**(मदनलाल नेहरा)**<br>**सदस्य** | |